भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4662
उत्तर देने की तारीख: 23.03.2020

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा

4662. श्री कुनार हेम्ब्रमः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की ओर बच्चों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण बच्चों की योग्यता/क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है, जिसमें प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक 'स्कूल' की परिकल्पना की गई है। समग्र शिक्षा के तहत, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को लक्षित किया गया है, जिसमें राज्य द्वारा परिभाषित पड़ोस में स्कूल खोलना, कक्षा आठवीं तक मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों का प्रावधान, कक्षा VIII तक सभी लड़कियों और एससी, एसटी, बीपीएल लड़कों की वर्दी सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के अलग शौचालय, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के संवेदीकरण कार्यक्रम, कठिन इलाके वाले क्षेत्रों में दूरदराज/पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण शामिल है।

इसके अतिरिक्त, स्कूलों की ट्विनिंग का प्रावधान है जिसके तहत शहरी अथवा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले कार्यात्मक निजी अथवा सरकारी विद्यालयों को संपर्क और अनुभव साझा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों से जोड़ा जाता है। परस्पर आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत, अधिक एक्स्पोज़र के लिए ग्रामीण विद्यालयों के छात्रों को 1 सप्ताह के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में और विलोमतः लाया जाता है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी सहित छात्रों की मेरिट/क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा सकता है। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,50,000 रु से कम है ताकि कक्षा 8 में उनका ड्रॉपआउट रोका जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कक्षा 9 के चयनित छात्रों को और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययन जारी रखने/ नवीकरण के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र 12000 रू. की एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

*****